कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

'प्रेस–नोट'

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 कार्यक्रम दिनांक 25 जुलाई 2022 को जारी किया गया है, इस कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 4 अगस्त 2022 से 24 अक्टूबर 2022 तक पुनरीक्षण पूर्व की कार्यवाही अर्थात तैयारी की जाएगी। दिनांक 9.11.2022 को वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिनांक से दिनांक 08.12.2022 तक नाम जोड़ने तथा आपत्तियों के आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इसी अवधि में विशेष कैम्प दो शनिवार एवं दो रविवार को आयोजित किया जाएगा। इस दिन बी.एल.ओ. दिन भर मतदान केन्द्र में बैठकर आवेदन पत्र प्राप्त करेंगें। दिनांक 26.12.2022 तक आवेदन पत्रों का निराकरण होगा तथा दिनांक 05.01.2023 को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा। यह विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 1 जनवरी 2023 की अर्हता तिथि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

पुनरीक्षण एवं पुनरीक्षण पूर्व कार्यवाही राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के पूर्व समस्त कार्यवाहियाँ पूर्ण कर ली जावेंगी ताकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन समारोह पूर्वक नवीन युवा मतदाताओं को परिचय पत्र का वितरण किया जा सके।

पुनरीक्षण पूर्व कार्यवाहियों में मतदान केन्द्रों का 1500 से अधिक मतदाता होने पर पुनरीक्षण मतदाताओं की संख्या अनुसार, डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री(डी. एस.ई.) समाप्त करना, फोटो सिमिलर एंट्री(पी.एस.ई.) समाप्त करना, एपिक कार्ड की दोहरी एंट्री समाप्त करना, अस्पष्ट फोटो बदलना, मतदाता सूची में सेक्शन का पुनरीक्षण करना, ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे कि परिवार के सदस्य एक स्थान पर रहें, मतदान केन्द्रों का सत्यापन कर अंतिम रूप देना, फार्मों की छपाई करना, पूरक सूचियों का एकीकरण करना, प्रारूप मतदाता सूची की तैयारी करना आदि शामिल हैं।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान इस कार्य के पर्यवेक्षण की व्यवस्था भी की गयी है। इसमें संभागीय आयुक्त मतदाता सूची प्रेक्षक हैं, उनके द्वारा उनके संभाग के जिलों की मतदाता सूची की जांच करेंगे तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी कार्य का पर्यवेक्षण करेंगें।